प्रदेश कांग्रेस की पीएसी बैठक 11 को

विशेष संवाददाता

भोपाल, 6 अगस्त. मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी की राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) की महत्वपूर्ण बैठक 11 अगस्त को भोपाल में आयोजित होगी. बैठक में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित पीएसी के वरिष्ठ सदस्य शामिल होकर संगठन की आगामी रणनीति और विपक्ष की भूमिका को और प्रभावी बनाने पर मंथन करेंगे.

प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने गुरुवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि जिला कांग्रेस अध्यक्षों, जिला प्रभारियों तथा विधानसभा

क्षेत्र प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों की स्थानीय जनसमस्याओं की पहचान कर उन्हें संगठन के माध्यम से प्रभावी ढंग से उठाएं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के मुद्दों के साथ-साथ गांव, कस्बों और शहरों की जमीनी समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाएगी. मुकेश नायक ने भाजपा सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को राजनीतिक नियंत्रण में लेने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों, सहकारी बैंकों, मंडी समितियों तथा स्वायत्त संस्थाओं की स्वायत्तता प्रभावित हुई है. उनका आरोप था कि सहकारिता कानूनों में किए गए संशोधनों से सहकारी बैंकों में निर्वाचित व्यवस्था कमजोर हुई है.

उन्होंने कृषि उपज मंडियों में भ्रष्टाचार, किसानों को उपज बेचने के लिए कई दिनों तक इंतजार करने की मजबूरी तथा मूलभूत सुविधाओं के अभाव का भी आरोप लगाया. साथ ही नगरीय निकायों में पेयजल प्रबंधन और अन्य व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार का दावा किया. नायक ने कांग्रेस नेताओं, विशेषकर जीतू पटवारी, के खिलाफ पुलिस और प्रशासन के माध्यम से राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस से निष्पक्ष कार्यवाही की अपेक्षा जताई. उन्होंने भोपाल के नए मास्टर प्लान में हो रही देरी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इससे शहरी विकास और प्रशासनिक कार्यों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है. उन्होंने बताया कि पीएसी बैठक में प्रदेशभर में संगठनात्मक कार्यक्रमों और जनआंदोलनों की आगामी रूपरेखा भी तय की जाएगी.

इंदौर की बैठक की रूपरेखा तय होगी भोपाल में

मुकेश नायक ने बताया कि वरिष्ठ पार्टी नेता राहुल गांधी के दिशानिर्देशों पर आयोजित इस बैठक में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के साथ भविष्य की मजबूत रूपरेखा बनायी जाएगी. इसी दौरान इंदौर में प्रस्तावित बैठक के बारे में भी विस्तार से चर्चा होगी. इसी बैठक में इंदौर बैठक की तिथि भी निर्धारित होगी. भोपाल की बैठक के बाद सभी वरिष्ठ पार्टी नेता इंदौर की बैठक के लिए कमर कसेंगे.

बच्चों पर श्वेत पत्र जारी करे सरकार

जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को लिखा पत्र

विशेष संवाददाता

भोपाल, 6 अगस्त . मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश में बच्चों के अपहरण और गुमशुदगी की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से इस मुद्दे पर तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर बच्चों की सुरक्षा के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करने तथा राज्य स्तर पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की.

जीतू पटवारी ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के वर्ष 2024 के

आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि मध्यप्रदेश में वर्ष 2024 के दौरान बच्चों के अपहरण के 11,594 मामले दर्ज हुए, जो महाराष्ट्र के बाद देश में दूसरे सबसे अधिक हैं. उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में दर्ज 7,058 मामलों की तुलना में यह लगभग 64 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. उनके अनुसार देशभर में दर्ज 75,108 बाल अपहरण मामलों में से 15 प्रतिशत से अधिक अकेले मध्यप्रदेश से हैं.

उन्होंने पत्र में कहा कि वर्ष 2024 में प्रदेश से 19,131 बच्चे लापता हुए, जिनमें 15,282 बालिकाएं और 4,886 बालक शामिल हैं. पटवारी ने प्रत्येक जिले में बाल अपहरण मामलों की अनिवार्य मासिक समीक्षा, लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए विशेष जांच अभियान, पुलिस, रेलवे पुलिस और बाल संरक्षण एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय तथा मानव तस्करी एवं संगठित अपराध से निपटने के लिए संयुक्त टास्क फोर्स के गठन की मांग की. उन्होंने पिछले पांच वर्षों में इस दिशा में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का सार्वजनिक ब्यौरा भी जारी करने की मांग की.

परीक्षा सुधार को लेकर संघर्षरत रहेगा अभाविप

- पंजाब में पुलिस कार्रवाई को बताया दुर्भाग्यपूर्ण
- परीक्षा सुधार और पारदर्शी व्यवस्था की मांग

भोपाल, 6 अगस्त. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में सामने आ रही अनियमितताओं, प्रश्नपत्र लीक एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ देशभर में आंदोलन तेज कर दिया है.

संगठन का कहना है कि विद्यार्थियों को निष्पक्ष, पारदर्शी

और भरोसेमंद परीक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकारों और परीक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी है.

अभाविप ने झारखंड, कर्नाटक, पंजाब और बिहार सहित कई राज्यों में लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर परीक्षा प्रणाली में सुधार, संस्थागत पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग उठाई है. संगठन ने आरोप लगाया कि कई राज्यों में विद्यार्थियों की समस्याओं को सुनने के बजाय प्रशासन द्वारा दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है.

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि प्रश्नपत्र लीक, भर्ती अनियमितताएं और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की कमी देशभर के लाखों विद्यार्थियों से जुड़े गंभीर मुद्दे हैं.

> अभाविप ने पंजाब में विधानसभा घेराव के दौरान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस कार्रवाई की निंदा की है. संगठन का आरोप है कि प्रश्नपत्र लीक और भर्ती अनियमितताओं के विरोध में किए जा रहे प्रदर्शन पर पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए. अभाविप ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताते हुए पंजाब सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की है.

एक नजर में

कार पलटने से तेलंगाना जा रहीं 4 महिलाएं घायल

जबलपुर. बरगी थाना अंतर्गत रैपुरा में आज राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई. इस हादसे में कार सवार चार महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं. सभी घायल महिलाएं कार से तेलंगाना की ओर जा रही थीं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार की रफ्तार तेज थी और रैपुरा के पास चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया. कार पलटने के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आवाज सुनकर आस-पास के ग्रामीण और राहगीर तुरंत मदद के लिए दौड़े और कार में फंसी महिलाओं को बाहर निकालना शुरू किया.

चोरी की बाइक बरामद दो आरोपी गिरफ्तार

सीधी. जमोड़ी पुलिस ने थाना बहरी के सहयोग से चोरी गई अपाची मोटरसाइकिल बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार फरियादी शिवम यादव पिता बुद्ध यादव उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम पड़री, थाना जमोड़ी, जिला सीधी ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 29 जुलाई 2026 को वह अपने मित्र रोहित केवट के यहां ग्राम मधुरी अपनी अपाची मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 53 जेडडी1489 से गया था. रात लगभग 10 बजे भोजन करने के बाद वह सो गया. रात करीब 3 बजे जब वह बाहर निकला तो देखा कि उसकी मोटरसाइकिल वहां खड़ी नहीं थी. आसपास तलाश करने पर भी मोटरसाइकिल नहीं मिली.

हेमंत खण्डेलवाल ने पारस जैन को श्रद्धांजलि दी

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने गुरुवार को प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री स्वर्गीय पारस जैन के उज्जैन स्थित निवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेन्द्र बरूआ, मध्यप्रदेश तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण अध्यक्ष विनोद गोटिया, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, जिलाध्यक्ष संजय अग्रवाल सहित पार्टी के प्रदेश एवं जिला पदाधिकारी उपस्थित रहे।

मप्र के उत्तरी क्षेत्र में मानसून का असर

भोपाल में सामान्य से करीब 1 .3 इंच कम दर्ज की गयी बारिश

नवभारत न्यूज

भोपाल, 6 अगस्त. बारिश का सक्रिय क्षेत्र अब मध्य प्रदेश के उत्तर हिस्से की ओर बढ़ रहा है. पिछले कुछ दिनों तक पूर्वी और दक्षिणी जिलों में असर दिखाने वाला मौसमी सिस्टम अब उत्तर और उत्तर-पूर्वी इलाकों में ज्यादा सक्रिय है. कई अन्य जिलों में भी रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा.

मौसम विभाग ने अगले पांच दिन तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में गरज-चमक, तेज बारिश और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाओं का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है.

इस समय प्रदेश के ऊपर कई मौसमी तंत्र एक साथ सक्रिय हैं. मध्य भारत के ऊपर बना पश्चिमी मौसमी दबाव, ऊपरी हवा का चक्रवाती तंत्र और बंगाल की खाड़ी से लगातार मिल रही नमी प्रदेश के मौसम को प्रभावित कर

> मौसम विभाग का मानना है कि अगले कुछ दिनों तक यही क्रम बना रहेगा. बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई. सबसे अधिक वर्षा सीधी में 2 .95इंच के साथ अमरपाटन, रामपुर और सिंगरौली समेत कुछ जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश दर्ज की गई. भोपाल, विदिशा , रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास समेत कई स्थानों पर तेज हवा और गरज-चमक भी रही.

रही है. अलग-अलग हिस्सों में तेज बारिश के दौर देखने को मिल रहे हैं. पिछले कुछ दिनों में बारिश का पैटर्न भी बदला है.

शुरुआत में सबसे ज्यादा असर पूर्वी मध्य प्रदेश में दिखाई दिया. इसके बाद सक्रिय बारिश का क्षेत्र दक्षिणी जिलों की ओर खिसका और अब यही मौसमी गतिविधियां धीरे-धीरे उत्तर और उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में पहुंच गई हैं.

कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों की शुरूआत

भोपाल. मध्यप्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसी क्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) ने डॉ. संजय कामले को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के परिसंपत्ति एवं संपत्ति विभाग का चेयरमैन नियुक्त किया है. यह नियुक्ति प्रदेश कांग्रेस के विभिन्न प्रकोष्ठों और विभागों की कार्यकारिणियों को भंग किए जाने के एक दिन बाद की गई है. इसे पार्टी के व्यापक संगठनात्मक पुनर्गठन अभियान का पहला कदम माना जा रहा है. पार्टी नेताओं के अनुसार पुनर्गठन का उद्देश्य संगठन को अधिक सक्रिय, सशक्त, प्रभावी और जनोन्मुख बनाना है, ताकि भविष्य की राजनीतिक चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना किया जा सके. इसके तहत प्रदेश कांग्रेस की संगठनात्मक संरचना का चरणबद्ध तरीके से पुनर्गठन किया जाएगा.

राकेश गोरखे की भूमिका जांच के घेरे में

फार्मासिस्ट से क्रय शाखा के प्रभावशाली चेहरे तक का सफर, ईओडब्ल्यू खंगाल रही पुराने रिकॉर्ड

नवभारत न्यूज

इंदौर, 6 अगस्त. एमजीएम मेडिकल कॉलेज और एमवाय अस्पताल की खरीदी व्यवस्था में लंबे समय तक प्रभाव रखने वाले फार्मासिस्ट राकेश गोरखे अब ईओडब्ल्यू की जांच के दायरे में हैं. आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई के बाद एजेंसी उसकी वर्षों पुरानी भूमिका, दवा और मेडिकल उपकरणों की खरीदी से जुड़े रिकॉर्ड तथा सप्लायरों से संबंधों की जांच कर रही है.

> वर्ष 2012 के बाद उसकी भूमिका और मजबूत होने की बात सामने आई है. अलग-अलग प्रशासनिक कार्यकालों में वह खरीदी से जुड़े मामलों में सक्रिय रहा. अब ईओडब्ल्यू उसके संपर्कों, दस्तावेजों, बैंक रिकॉर्ड और डिजिटल उपकरणों की जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि सप्लायरों से संबंध केवल विभागीय कार्यों तक सीमित थे या इसके पीछे कोई आर्थिक लेन-देन भी था.

राकेश गोरखे की नियुक्ति वर्ष 2007 में एमवाय अस्पताल में फार्मासिस्ट के पद पर हुई थी. इसके अगले साल ही वह एमजीएम मेडिकल कॉलेज की क्रय शाखा से जुड़ गया. इसके बाद धीरे-धीरे वह दवाइयों, मेडिकल उपकरणों और अन्य सामग्री की खरीदी प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने लगा. जांच एजेंसी यह पता लगा रही है कि एक कर्मचारी किस तरह खरीदी व्यवस्था में इतना प्रभावशाली बन गया. हालांकि गोरखे अंतिम दस्तावेजों पर सीधे हस्ताक्षर नहीं करता था, लेकिन प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों में उसकी मौजूदगी लगातार बनी रही.

डीएलएड परिणाम : अभ्यर्थी आशंकित

- 10 से शुरू होगी दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 6 अगस्त. लोक शिक्षण संचालनालय ने आगामी 10 अगस्त से प्राथमिक नर्ग शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया दोबार शुरू करने का निर्देश भी जारी कर दिया है.

वहीं दबलरी तरफ माध्यमिक शिक्षा मण्डल मप्र द्वारा संचालित डी.एल.एड. द्वितीय वर्ष परीक्षा जून 2026 का परीक्षाफल भी घोषित कर दिया गया है। लेकिन परिणाम के जारी होने के बाद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति न मिलने का डर सता रहा है. अभ्यर्थियों के

अनुसार डीपीआई विभाग की तरफ से प्राप्त जानकारी के अनुसार दस्तावेज सत्यापन में केवल उन्ही अभ्यर्थियों का चयन हो सकेगा, जिनका डीएलएड एक साल पहले पूरा हो चुका है.

जारी जानकारी के अनुसार दस्तावेज सत्यापन के लिए 25 अगस्त 2025 तक उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही योग्य मानें जायेगें. जबकि आवेदन के समय ऐसी कोई भी शर्त नही रखी गई थी. जानकारी के अनुसार प्रदेश भर में करीब 1000 से अधिक अभ्यर्थी ऐसे हैं, जिनका डीएलएड का रिजल्ट बीते कुछ दिनों पहले जारी किया गया है. ऐसे में अगर इस नए नियम के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की गई तो करीब हजार से अधिक अभ्यर्थी चयन सूची से बाहर हो सकते हैं. इसी कारण अब प्रदेश भर के ये अभ्यर्थी शुक्रवार को डीपीआई में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं.

भागलपुर-अजमेर हमसफर एक्सप्रेस के चार फेरे निरस्त

भोपाल. पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल में प्री-नॉन इंटरलॉकिंग एवं नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते भोपाल मंडल होकर संचालित होने वाली गाड़ी संख्या 13423/13424 भागलपुर-अजमेर हमसफर एक्सप्रेस प्रभावित रहेगी. रेलवे ने इस ट्रेन के आगामी माह में कुछ फेरों को निरस्त करने का निर्णय लिया है.

रानी कमलापति-रीवा वंदे भारत में बढ़ीं 598 बर्थ

भोपाल, 6 अगस्त. यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने रानी कमलापति-रीवा वंदे भारत एक्सप्रेस की कोच संरचना में अस्थायी बढ़ोतरी की है. अब यह ट्रेन 7 अगस्त 2026 से 24 अक्टूबर 2026 तक 8 की जगह 16 कोच के साथ संचालित होगी. इससे यात्रियों के लिए 598 अतिरिक्त बर्थ उपलब्ध होंगी.

रेलवे के अनुसार, ट्रेन में पहले कुल 530 सीटों की क्षमता थी,

- 7 अगस्त से 16 कोच के साथ चलेगी ट्रेन

जिसे बढ़ाकर 1128 बर्थ कर दिया गया है. नई व्यवस्था के तहत ट्रेन में 2 एग्जीक्यूटिव चेयर कार और 14 चेयर कार सहित कुल 16 कोच रहेंगे. यह बदलाव गाड़ी संख्या 20174 रीवा-रानी कमलापति वंदे भारत एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 20173 रानी कमलापति-रीवा वंदे भारत एक्सप्रेस दोनों में लागू रहेगा.

रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपने आरक्षण, कोच स्थिति और अन्य जानकारी रेलवे की आधिकारिक पूछताछ सेवाओं, एनटीईएस ऐप या हेल्पलाइन के माध्यम से जरूर प्राप्त कर लें.

प्रथम पृष्ठ के शेष

जेन-जी पर संघ का बड़ा दांव

बताकर संघ ने एक तरफ जहां युवाओं के खिसकते विश्वास को वापस पाने का प्रयास किया है, वहीं दूसरी तरफ सरकार को युवाओं से दोबारा सीधे संवाद स्थापित करने का एक सुरक्षित राजनैतिक अवसर भी प्रदान कर दिया है .कहा जा रहा है कि संघ प्रमुख ने बहुत ही रणनीतिक ढंग से युवाओं को अपने लोग और अगली पीढ़ी बताकर उस नैरेटिव की हवा निकाल दी है जो हर छात्र आंदोलन को सीधे तौर पर देश-विरोधी ताकतों से जोड़ देता है. इससे सरकार पर लगने वाले दमनकारी और तानाशाही होने के आरोपों की धार बेहद कमजोर हो जाती है. इतना ही नहीं संघ प्रमुख का बयान राहुल गांधी के नेतृत्व में युवाओं के मुद्दों पर अत्यंत आक्रामक रुख अपनाए हुए खेमे की काट के रूप में भी देखा जा रहा है. राहुल गांधी लगातार युवाओं को यह संदेश देने में सफल हो रहे हैं कि वर्तमान सत्ता उनकी आवाज दबा रही है और युवाओं के आर्थिक अवसरों को सीमित कर रही है. संघ प्रमुख का यह कदम विपक्ष के इसी राजनैतिक नैरेटिव को बेअसर करने की एक बड़ी रणनीतिक बिसात है, जिसने युवाओं के गुस्से पर विपक्ष के एकाधिकार को पूरी तरह चुनौती दे दी है. भागवत ने युवाओं को आंदोलन करने के संवैधानिक तरीकों और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के ऐतिहासिक भाषणों की याद दिलाकर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि विरोध रचनात्मक होना चाहिए न कि अराजक होने चाहिए. यह विपक्ष द्वारा चलाए जा रहे संविधान बचाओ आंदोलन को उसी के वैचारिक हथियार से जवाब देने का सार्थक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है. राजनीतिक प्रेक्षक कह रहे हैं कि लंबे समय बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने खुद को केवल सरकार के साथ कंधे में कंधा मिलाकर चलने वाले धारणा से अलग कर समाज के एक निष्पक्ष और सजग प्रहरी के रूप में प्रस्तुत किया है. बहरहाल, भागवत ने सामाजिक और पीढ़ीगत बदलाव को स्वीकारोक्ति प्रदान करते हुए इस तथ्य को रेखांकित किया कि पुरानी पीढ़ी जहां बड़ों की बातों को बिना सवाल किए मान लेती थी, वहीं आज की जेन जी और जेन अल्फा तार्किक जवाब चाहती है.

1 .28 करोड़ का विदेशी सोना जब्त

जैसा दिखाई दे, और जांच के दौरान आसानी से पकड़ में न आए. डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक संजय मुंजे इस पूरे नेटवर्क का समन्वय कर रहा था. अबूधाबी से सोना लेकर आने की जिम्मेदारी गोविंद पोरवाल की थी. वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस में कार्यरत वासुदेव बरनाले पर आरोप है कि उसे विमान से उतरने के बाद सोना सीमा शुल्क जांच से पहले बाहर निकालने की जिम्मेदारी दी गई थी. अमन गहलोत और अजय कुमार सेन पर नेटवर्क के अन्य लोगों के बीच समन्वय और सोना आगे पहुंचाने की भूमिका होने की बात सामने आई है. जांच में यह भी पता चला है कि तस्करी से जुड़े लोगों को एयरपोर्ट और जांच एजेंसियों की गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती थी. इसके बदले प्रति यात्रा 10 हजार रुपए तक दिए जाने की बात सामने आई है. आरोपियों की योजना के तहत अबूधाबी से आए यात्री से सोना लेकर उसे एयरपोर्ट परिसर से बाहर निकालना था, लेकिन कार्रवाई के कारण पूरी साजिश नाकाम हो गई. अब एजेंसी आरोपियों के मोबाइल, दस्तावेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है.

मास रूरल हाउसिंग एंड मॉर्गेज फाइनेंस लिमिटेड

नारायण चैम्बर्स, चौथी मंज़िल, पतंग होटल के पीछे, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009। संपर्क: 079-41106500/733

मांग नोटिस

सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी एक्ट 2002 ("एक्ट") की धारा 13(2) और सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002 ("रूल्स") के नियम 3 के तहत।

मास रूरल हाउसिंग एंड मॉर्गेज फाइनेंस लिमिटेड (जिसे आगे 'कंपनी' कहा गया है) के अधिकृत अधिकारी के तौर पर, मैं (नीचे हस्ताक्षर करने वाला) एक्ट और उसके तहत जारी नियमों की धारा 13(2) और नियम 3 से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, नीचे बताए गए विवरण के अनुसार डिमांड नोटिस जारी कर चुका हूँ। एक्ट की धारा 13(2) के तहत, नीचे दिए गए उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) से कहा जाता है कि वे संबंधित डिमांड नोटिस में बताई गई रकम का भुगतान, नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर करें। इन नोटिस की कॉपी रजिस्टर्ड पोस्ट A.D. से भेजी गई हैं और मेरे पास उपलब्ध हैं। संबंधित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर चाहें तो किसी भी कामकाजी दिन, ऑफिस के समय के दौरान मुझसे अपनी कॉपी ले सकते हैं।

इसके संबंध में, संबंधित उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) को एक बार फिर सूचित किया जाता है कि वे संबंधित नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर कंपनी को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अपने नाम के सामने लिखी रकम का भुगतान करें। इसमें नीचे दिए गए कॉलम में बताई गई तारीख से लेकर भुगतान/वसूली की तारीख तक का अतिरिक्त ब्याज भी शामिल होगा, जैसा कि लोन एग्रीमेंट और अन्य दस्तावेजों/लिखतों (यदि कोई हों) में बताया गया है, जिन्हें संबंधित उधारकर्ता(ओं) / सह-उधारकर्ता(ओं) / गारंटर (ओं) ने निष्पादित किया है। लोन की सही अदायगी के लिए, संबंधित उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं) /गारंटर(ओं) ने कंपनी के पास निम्नलिखित सुरक्षित संपत्ति (संपत्तियों) को गिरवी रखा है।

ऋणकर्ता और सह-ऋणकर्ता, गारंटर का नाम	बंधक संपत्ति का विवरण:-	ऋण खाता संख्या बकाया राशि	मांग सूचना की तिथि सूचना चिपकाने की तिथि
पंकज बघेल (आवेदक), ललिता बघेल (सह-आवेदक)	यह प्रॉपर्टी जमीन का एक टुकड़ा है जिस पर मकान नंबर 47 बना है। यह सर्वे नंबर 449/3, पटवारी हल्का नंबर 06 (गाइडलाइन नंबर 74 के अनुसार) में आता है और इसका क्षेत्रफल लगभग 78.03 वर्ग मीटर (यानी 840 वर्ग फुट) है। यह गाँव अंतरवेलिया, तहसील और ज़िला झाबुआ (मध्य प्रदेश) में स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: तकनीकी जानकारी के अनुसार - पूर्वः सड़क, पश्चिमः अपनी खेती की जमीन, उत्तरः श्री रमेश बघेल का मकान, दक्षिणः गली और उसके बाद श्री दीपू का मकान। दस्तावेजों के अनुसार सीमाएँ इस प्रकार हैं - पूर्वः आर.सी.सी. सड़क, पश्चिमः अपनी जमीन, उत्तरः श्री रमेश धुलाजी बघेल का मकान, दक्षिणः श्री रामलाल मोती बघेल का मकान।	ऋण खाता संख्याः 10561 रू. रू. 4,71,427.00/-	दिनांक : 22.07.2026 दिनांक : 29.07.2026

इसके अलावा, संबंधित डिमांड नोटिस में बताई गई दर से अतिरिक्त ब्याज, और भुगतान या वसूली की तारीख तक हुए अन्य खर्च, लागत और शुल्क आदि भी देने होंगे। अगर बताए गए उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर कंपनी को भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो कंपनी ऊपर बताई गई सुरक्षित संपत्ति/अचल संपत्ति के खिलाफ उस एक्ट की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत कार्रवाई करेगी। इसमें होने वाले खर्च और नतीजों की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं/गारंटरों की होगी।

उक्त एक्ट के तहत, उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं/गारंटरों को कंपनी की पहले से लिखित मंजूरी के बिना, ऊपर बताई गई सुरक्षित संपत्ति/अचल संपत्ति को बेचने, लीज पर देने या किसी अन्य तरीके से ट्रांसफर करने की मनाही है। अगर आप इस धारा का उल्लंघन करते हैं, तो SARFAESI एक्ट की धारा 29 और/या इस मामले से जुड़े किसी भी अन्य कानूनी प्रावधान के तहत सजा वाले नियम लागू होंगे।

दिनांक: 07.08.2026
स्थान: मध्यप्रदेश

अधिकृत अधिकारी,
मास रूरल हाउसिंग एंड मॉर्गेज फाइनेंस लिमिटेड की ओर से।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60